L.A Case No:- 11/15-16

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
14/3/17	अभिलेख उपस्थापित,	

अधियाची विभाग के अधियाचना दिनांक–27.07.2015 के आलोक में झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के धारा–11 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक–09.09.2015 को निर्गत किया गया, जिसका जिला गजट प्रकाशन, दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हो चुका है एवं अंतिम प्रकाशन (स्थानीय तामिला) दिनांक–20.12.2015 को किया गया है। परंतु अधियाची विभाग द्वारा भू अर्जन के लिए राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण भू अर्जन की कार्रवाई अबतक लंबित रही थी।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की अध्याय–04 के धारा–19(2) में उल्लेख किया गया है कि अपेक्षक निकाय रकम को तत्परता से जमा करायेगा जिससे समुचित सरकार धारा–11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर घोषणा को प्रकाशित करायेगा, अधियाची विभाग द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन दिनांक–20.12.2015 से 12 मास की अवधि दिनांक–19.12.2016 को समाप्त हो चुकी है।

पुनः अधियाची विभाग यथा–Director Saimeg Infrastructure Pvt. Ltd., Hyderabad के पत्र दिनांक–16.01.2017 द्वारा मौजा–बारा, थाना संख्या–675, थाना–मोहनपुर में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु रकवा–1.58 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है साथ ही भू अर्जन हेतु राशि RTGS के माध्यम से बैंक खाता में जमा की गयी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–19(7) में उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार को 12 मास की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसे परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है। परंतु यह भी की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी किसी भी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जायेगा और उसे अधिसूचित किया जायेगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–3(6) राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त को 5000 हेक्टेयर तक लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के समुचित सरकार घोषित किया गया है। विषयगत मामला लोक प्रयोजन से संबंधित है एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–19(7) के आलोक में 12 मास की अवधि विस्तार करने एवं अधिघोषणा प्रकाशन की स्वीकृति देने के लिए उपायुक्त स्वयं सक्षम है।

अतः उपर्युक्त मामले में 12 मास की अवधि विस्तार एवं धारा–19(1) के तहत् अधिघोषणा निर्गत करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अभिलेख अपर समाहर्त्ता के माध्यम से उपायुक्त, देवघर को भेजें।

लेखापित,

Sd/- 14/3/17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी,
देवघर।

Sd/- 14/3/17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी,
देवघर।

उपायुक्त
कृपया जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के प्रस्तावित प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकता है।
Sd/- 14-03-2017.

Sd/- 14/3/17